न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गूर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण संख्या:-136/2023 दायर दिनांक:-22.09.2023

जीसीएमएस नं. 2023/453

घूरीराम पुत्र प्रभु उम्र 61 साल जाति खटीक निवासी कोटरी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0 हाल निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास भगवती नगर हिण्डौन

---प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।
2. मनीराम } पिसरान प्रभु जाति खटीक निवासी कोटरी
3. श्रीमन } तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0।

---अप्रार्थीगण-03

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित:- 1. श्री मुरारीलाल करसौलिया वकील प्रार्थीगण
2. श्री पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक** 7-3-25

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सेवामें प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है कि खाता संख्या 115 जिसका खसरा न0 1064 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के 1/3, 1/3 भाग के हिस्से खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, मार्कसीट, परिवार राशनकार्ड सारे दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम घूरीराम पुत्र प्रभु राम है, जबकि प्रार्थी ने उक्त आराजीयात भूमि खरीदी थी, तब रजिस्ट्री ... घूरीराम के स्थान पर भुरसिंह दर्ज हो गया है। तथा उसी के आधार ... उक्त आराजीयात भूमि में भी प्रार्थी का नाम घूरीराम के स्थान पर भुरसिंह दर्ज हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:54:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने अपने उक्त नाम को शुद्ध करवाने के लिये एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली को दिनांक 31.01.2019 को पेश किया जिसमें श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली ने तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये,

लेकिन आज दिन तक प्रार्थी का नाम शुद्ध नहीं किया। प्रार्थी ने कई बार तहसीलदार हिण्डौन के चक्कर लगा चुका है। लेकिन आज दिन तक प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम में शुद्धिकरण नहीं किया है।

दिनांक 22.08.2023 को प्रार्थी द्वारा तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष पेश हुआ तो तहसीलदार हिण्डौन ने प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ तब ही आपका नाम शुद्ध किया जावेगा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 115 जिसका खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन में प्रार्थी का सही एवम वास्तविक नाम घूरीराम पुत्र प्रभु राम दर्ज कर संशोधन कर दिया जावे। तथा भुरसिंह नाम को डिलीट कर दिया जावे।

अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पत्रांक 686 दिनांक 09.02.2024 को जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र का मद नं० जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। बल्कि सही राष्य इस प्रकार है कि इस मद में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1064 पकबा 0. 42 है० ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं० 2071–74 मे खातेदारी भूरसिंह पुत्र प्रभू हि० 1/3, मनीराम पुत्र प्रभू हि० 1/3, श्रीमन पुत्र प्रभू हि० 1/3 जाति खटीक सा० देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 02.01.1988 के अनुसार कम्पूरी बेबा मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कोटरी तहसील हिण्डौन के द्वारा मनीराम श्रीमन भूरसिंह पिसरान प्रभू जाति खटीक निवासी कोटरी तहसील हिण्डौन के हक में आराजी खसरा नम्बर 643 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन का विक्रय किया गया है तथा मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है। जिससे यह पता नहीं चलता है कि साबिक खसरा नम्बर 643 से दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 1064 ही कायम किया गया हो। घूरीराम पुत्र प्रभूराम के हक में कोई विक्रय पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:54:00 IST
Reason: SelfAttested

रजिस्टर्ड नही हुआ है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विकय पत्र भूरसिंह पुत्र प्रभूलाल हि01/3 के हक में हुआ है। जिसको धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत संशोधन किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

2. प्रार्थना पत्र का मद नं02 आंशिक रूप से स्वीकार है. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत अंक तालिका हायर सैकण्ड्री परीक्षा 1982 कमांक 204407 घूरीराम खटीक पुत्र प्रभूरामं के नाम, आधार कार्ड स0 54046596 घूरीराम सांवरिया पुत्र प्रभूराम, मतदाता परिचय पत्र कमांक एफटीपी 1678309 घूरीराम पुत्र प्रभूराम के नाम से जारी किये हुए हैं। प्रार्थी ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि रजिस्टर्ड विकय पत्र में सहवन से घूरीराम के स्थान पर भूरसिंह दर्ज हो गया था। जिस वक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक कराया गया था उस वक्त प्रार्थी बालिग था। रजिस्टर्ड विकय पत्र में नाम की गलती की दुरुस्ती धारा 136 एल.आर एक्ट के तहत शुद्धि योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

3. प्रार्थना पत्र का मद नं० 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में नाम की गलती की दुरुस्ती धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत शुद्धि कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

4. प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। दिनांक 22.08.2023 की घटना कपोल कल्पित एवं मनगढन्त दर्ज की है। प्रार्थी ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके प्रार्थी दिनांक 22.08.2023 को तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष उपस्थित हुआ हो। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत चलने योग्य नहीं है। खारिज फरमाये जाने योग्य है।

5. प्रार्थना पत्र का मद नं० 5 कानूनी

6. प्रार्थना पत्र का मद

7. प्रार्थना पत्र का मद नं0 7 कानूनी है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:54:00 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 115, वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन, रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 02.01.1986, अंकतालिका हायर सैकेण्डरी घूरीराम, आधार कार्ड घूरीराम सावरिया, वोटर स्लिप लोकसभा निर्वाचन 2019 घूरीराम पुत्र प्रभुराम, पर्चा लगान, पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेराकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 115, वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन, रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 02.01.1986, अंकतालिका हायर सैकेण्डरी घूरीराम, आधार कार्ड घूरीराम सावरिया, वोटर स्लिप लोकसभा निर्वाचन 2019 घूरीराम पुत्र प्रभुराम, पर्चा लगान है। उक्त दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार हिण्डौन के जबाव का विवेचन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से अपने प्रा0 पत्र को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजीयात खसरा न0 1064 वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन स्वीकार किया जाता है। घूरसिंह पुत्र प्रभु के स्थान पर घूरीराम पुत्र प्रभुराम शुद्ध किया जाता है। इस सबंध मे राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:54:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 7/3/25 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

7/3/25
(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन